संचिका सं0–10/सदर–4–01/2009.......1004.......(10)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक– 17/11/2017

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में सुपौल जिलान्तर्गत 150 शैय्या वाले सदर अस्पताल भवन, सुपौल (फेज–2) ब्लॉक D.E.F.G.H.I के निर्माण कार्य हेतु कुल रुपये 17,57,00,000/– (सतरह करोड़ सन्तावन लाख) रुपये व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सुपौल जिलान्तर्गत 150 शैय्या वाले सदर अस्पताल भवन, सुपौल (फेज–2) ब्लॉक D.E.F.G.H.I के निर्माण कार्य हेतु भवन निर्माण विभाग के पत्रांक–9106(भ) अनु, दिनांक–10.10.2017 एवं संलग्न कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, भवन प्रमंडल, सुपौल के द्वारा कुल रुपये 17,57,00,000/– (सतरह करोड़ सन्तावन लाख) की मांग की गयी है ।

2. ज्ञातव्य है कि विभागीय पत्रांक–686(10), दिनांक–06.08.2013 के द्वारा 150 शैय्या वाले सदर अस्पताल, सुपौल के भवन निर्माण हेतु रुपये 24,50,00,000/–(चौबीस करोड़ पचास लाख) की स्वीकृति दी जा चुकी है एवं विभागीय पत्रांक–117(10), दिनांक–26.05.2014 के द्वारा उपबंधित रुपये 2,00,00,000/–(दो करोड़) भवन निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध कराया जा चुका है । भवन निर्माण विभाग के उक्त पत्र के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में सुपौल जिलान्तर्गत 150 शैय्या वाले सदर अस्पताल भवन, सुपौल (फेज–2) ब्लॉक D.E.F.G.H.I के निर्माण कार्य हेतु कुल रुपये 17,57,00,000/–(सतरह करोड़ सन्तावन लाख) रुपये व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है । यह मांग संख्या–03 अन्तर्गत संगत विपत्र कोड–03-4210011100116 एवं विषय शीर्ष–53 01–मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत द्वितीय अनुपूरक आगणन में उपबंधित राशि से उपलब्ध करायी जा सकेगी ।

3. यह कार्य भवन निर्माण विभाग के द्वारा कराया जायेगा । कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायेगा:–

(i) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संतुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नही कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।

(ii) यह कार्य तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कराया जायेगा ।

(iii) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।

(iv) कार्य का सघन पर्यवेक्षण भवन निर्माण विभाग द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा ताकि कार्य की गुणवत्ता बनी रहे।

(v) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सुनिश्चित कराने की जवाबदेही संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी ।

(vi) भवन निर्माण विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाय।

4. इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं0–03 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–110–अस्पताल तथा औषधालय –0116 शहरी अस्पतालों के भवनों का निर्माण, विषय शीर्ष– (53 01) मुख्य निर्माण कार्य विपत्र कोड–03-4210011100116 के अन्तर्गत द्वितीय अनुपूरक आगणन में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

5. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

6. यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998, 2419/वि0(2) दिनांक–05.04.2007, 8593/वि0(2) दिनांक–27.11.2007, 96/वि0(2) दिनांक–03.01.2008, 3923/वि0(2) दिनांक–09.04.2010, 1014/वि0(2) दिनांक–03.02.2011, 1752/वि0(2), दिनांक–01.03.2011 एवं 2837/वि0(2) दिनांक–29.03.2011 एवं अद्यतन परिपत्र के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998 में निकासी से संबंधित निदेश का अनुपालन करते हुए राशि की निकासी करेंगे ।

8. प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

9. प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–10/सदर–4–01/2009 के पृष्ठ–...97/टि0 पर प्राप्त है ।

10. राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उपकोषागार से की जायेगी ।

11. यह मात्र स्वीकृत्यादेश है । आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा ।

12. संबंधित राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सच्चिदानंद चौधरी) 16/11/17
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांकः– 1004 (10) /स्वा0, पटना, दिनांकः– 17/11/2017

प्रतिलिपि–योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, कोशी प्रमंडल, सहरसा/जिला पदाधिकारी, सुपौल/सिविल सर्जन, सुपौल/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–10/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/11/17
सरकार के विशेष सचिव